रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235133 CG-DL-E-13042022-235133

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1733] No. 1733] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 13 अप्रैल. 2022

का.आ. 1820(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कितपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है:

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और मुश्ताक अहमद ज़रगर उर्फ लतराम, आयु 52 वर्ष, पुत्र मरहूम गुलाम रसूल ज़रगर निवासी गनी मोहल्ला, जामा मस्जिद, नौहट्टा, श्रीनगर, अल-उमर-मुजाहिद्दीन का संस्थापक और मुख्य कमांडर है ;

और अल-उमर-मुजाहिद्दीन उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 9 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और उक्त मुश्ताक अहमद ज़रगर आतंकी संगठन 'जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट' से संबद्ध था और वह अवैध हथियारों और गोला-बारूद का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान गया था ;

2684 GI/2022 (1)

और मुश्ताक अहमद ज़रगर इंडियन एयरलाइन फ्लाइट अपहरण संकट में इंडियन एयरलाइन फ्लाइट आईसी-814 के बंधकों के बदले में वर्ष 1999 में मुक्त किया गया एक आतंकवादी था ;

और मुश्ताक अहमद ज़रगर भारत के जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढाने के लिए पाकिस्तान से निरंतर मुहिम चला रहा है :

और उक्त मुश्ताक अहमद ज़रगर विभिन्न आतंकी अपराधों में शामिल है, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, व्यपहरण, आतंकी हमलों की योजना बनाने और क्रियान्वयन करने तथा आतंक के लिए धन मुहैया कराना शामिल है ;

और उक्त मुश्ताक अहमद ज़रगर आतंकी समूहों जैसे अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ अपने संपर्क और सामीप्य के कारण न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व की शांति के लिए खतरा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मुश्ताक अहमद ज़रगर उर्फ लतराम आतंकवाद में शामिल है और उक्त मुश्ताक अहमद ज़रगर उर्फ लतराम उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"35. मुश्ताक अहमद ज़रगर उर्फ लतराम"।

[फा. सं. 11034/18/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण: विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1768 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 2022 द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1820(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith:

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Mushtaq Ahmed Zargar @Latram, aged 52 years son of Late Ghulam Rasool Zargar, resident of Gani Mohalla, Jama Masjid, Nowhatta, Srinagar, is the Founder and Chief Commander of Al-Umar-Mujahideen;

And whereas, Al-Umar-Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 9;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar had been affiliated with 'Jammu-Kashmir Liberation Front' terror outfit and had gone to Pakistan for obtaining illegal arms and ammunition training;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar was one of the released terrorists in the year 1999, Indian Airlines Flight hijacking crisis, in exchange of the hostages of Indian Airlines Flight IC-814;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar has been running an incessant campaign from Pakistan to fuel terrorism in Jammu and Kashmir, India;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar has been involved in various terror crimes including murder, attempt to murder, kidnapping, planning and execution of terrorist attacks and terror funding;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar is a threat to peace, not only to India, but across the world, with his contacts and proximity to radical terrorist groups like the 'Al- Qaeda' and 'Jaish-e-Mohammed';

And whereas, the Central Government believes that Mushtaq Ahmed Zargar @Latram is involved in terrorism and the said Mushtaq Ahmed Zargar @Latram is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"35. Mushtaq Ahmed Zargar @Latram".

[F. No. 11034/18/2021/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note: The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1768 (E)., dated the 11th April, 2022.